बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक – 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 –107/13 –158 (ग्रा0) दिनांक– 30/1/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय ।

विषय :– **वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम अंतर्गत बेगूसराय जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोला में 125 मीटर गहरे आई0 एम0 –।। पम्प के साथ नलकूप के निर्माण हेतु केन्द्रांश मद से रु0 3.176 लाख (तीन लाख सत्रह हजार छः सौ रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में राज्य के 12 जिलों के आर्सेनिक प्रभावित टोलों में 716 अदद 125 मीटर गहरे आई0 एम0 –।। पम्प के साथ नलकूपों के निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक – 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 – 107/13– 523, दिनांक– 28.02.14 के द्वारा कुल रू0 647.264 लाख (छः करोड़ सैंतालीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार चापाकलों के निर्माण की योजना का लागत राशि का 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रुप में भारत सरकार द्वारा एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लोक **स्वास्थ्य प्रमण्डल, बेगूसराय** को आर्सेनिक प्रभावित टोला में नलकूप के निर्माण हेतु केन्द्रांश मद से रु0 3.176 लाख (तीन लाख सत्रह हजार छः सौ रुपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के **प्रोग्राम फण्ड से बैंक खाते** के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस विमुक्त राशि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ कुल 25 प्रतिशत की राशि सम्मिलित है।

4. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम फण्ड के बैंक खाते** के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

5. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यो के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

D P Singh 29.1.2018

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0–107/13-458 (भ्या0) पटना, दिनांक– 30/1/2018

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र –भागलपुर एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के **प्रोग्राम फण्ड** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, **बेगूसराय** को उक्त राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3. प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (मो0) को दो प्रतियों सहित /कार्यपालक अभियंता (मो0) –1 /कार्यपालक अभियंता (मो0)– 2 /सहायक अभियंता (मो0)/प्रभारी, डाटा सेन्टर/प्रशाखा पदाधिकारी– 6, कार्यवाह सहायक प्रशाखा – 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव